

भाग - III

हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

संख्या सांका०नि० 54/संवि०/अनु० 309/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ठ) चालकों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा;
- (ii) ग्रुप III तथा IV कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3			4
1	अनुभाग अधिकारी	2	2	4	9300-34800+4600 ग्रेड वेतन +100 विशेष वेतन
2	तकनीकी सहायक	1	-	1	9300-34800+4000 ग्रेड वेतन
3	सहायक/कैशियर	5	4	9	9300-34800+3600 ग्रेड वेतन
4	अन्वेषक	1	1	2	9300-34800+3600 ग्रेड वेतन
5	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	-	2	2	9300-34800+3600 ग्रेड वेतन
6	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	-	2	2	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन

1	2	3	4
7	चालक	3 1 4	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन+200 विशेष वेतन
8	आशुटकक	4 1 5	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन+100 विशेष वेतन
9	लिपिक	9 3 12	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन
10	पोतेदार	1 - 1	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन।"।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 12 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"12	चालक	(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैद्य हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	पदोन्नति द्वारा-- (i) मैट्रिक; (ii) श्रेणी III/IV पदों पर तीन वर्ष का अनुभव; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैद्य हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vi) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैद्य हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vi) यदि चालक के पद पर पहले कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;"।

नवराज सन्धू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 12th December, 2014

No. G.S.R. 54/Const./Art 309/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service Rules, 1998 namely:—

1. These rules may be called the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:—

“(1) in case of Drivers,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by promotion from amongst Class III and IV employees; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;”.

3. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“Appendix A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3		4	
1	Section Officer	2	2	4	9300-34800+4600GP+100 SP
2	Technical Assistant	1	-	1	9300-34800+4000GP
3	Assistant/Cashier	5	4	9	9300-34800+3600GP
4	Investigator	1	1	2	9300-34800+3600GP
5	Junior Auditor	-	2	2	9300-34800+3600GP
6	Junior Scale Stenographer	-	2	2	5200-20200+2400GP

1	2	3		4
7	Driver	3	1	4 5200-20200+2400GP+200 SP
8	Steno Typist	4	1	5 5200-20200+1900GP+100 SP
9	Clerk	9	3	12 5200-20200+1900GP
10	Potedar	1	-	1 5200-20200+1900 GP;"

4. In the said rules, in Appendix B, under columns 1, 2, 3 and 4, for serial number 12 and entries, there against, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"12	Driver	(i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving licence at least three years old; (iii) should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;	By Promotion:— (i) Matric; (ii) three years experience as Class III/IV posts; (iii) should have a light vehicle valid driving licence at least three years old; (iv) should have passed the driving test conducted by the department; (v) should not be colour blind; (vi) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vii) should not be more than fifty years age; By transfer/deputation:— (i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving licence at least three years; (iii) three years experience as light vehicle driver; (iv) should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vi) if not already working on the post of driver then should not be more than fifty years age;"

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department.